उत्तर प्रदेश में तारों का रोका जाना

1917. **श्री बलराज मधोक :**
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री 18 दिसम्बर, 1968 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अध्यापकों द्वारा संसद् सदस्यों को भेजे गये तारों को रोके जाने के बारे में जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले हैं?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) इस मामले की विधिवत जांच की गई थी। जैसा कि पहले बताया गया है उक्त तार भारतीय तार अधिनियम की धारा 5 (i) (ख) के अन्तर्गत सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा रोके गये थे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Refugees from East Pakistan

1918. SHRI HIMATSINGKA :
SHRI S. K. TAPURIAH :
SHRI A. SREEDHARAN :
SHRI SRADHAKAR SUPAKAR :
SHRI S. R. DAMANI :

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether a large number of refugee families of East Pakistan staying in Bihar and other refugee camps had come down to Delhi towards the end of December last for presenting to Government their pitiable plight in the camps and seeking help of Government in improving their conditions in the camps ;

(b) if so, the conditions in camps as presented by each group of these refugees ; and

(c) the steps which are being taken by Government to improve their lot ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) ; (a) No ; it is not a fact that a large number of refugees from East Pakistan staying in Bihar and other refugees camps had come to Delhi. The migrants from East Pakistan, who came to Delhi, came from sites of rehabilitation in Bihar and Madhya Pradesh to which places they had earlier been shifted from the relief camps where they had still earlier been lodged.

(b) and (c). Do not arise.

भारतीय तार अधिनियम की धारा 5 (i) (ख) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में तारें रोक लेना

1919. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में भारतीय तार अधिनियम की धारा 54 (i) (ख) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न डाक घरों में कितने तार रोके गये और उनमें से कांग्रेस दल के तार कितने थे ;

(ख) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त धाराओं के संशोधन करने का है ;

(ग) यदि नहीं, तो उपर्युक्त धारा के अन्तर्गत निर्णय करने का अधिकार किसको है ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है कि किसी सत्ताधारी दल के अनुरोध पर अथवा उनके प्रभाव में आकर डाक अधिकारी इस धारा का दुरुपयोग न करने पायें।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 1 अप्रैल, 1965 से 21 फरवरी, 1969 तक की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में भारतीय तार अधिनियम की धारा 5 (i) (ख) के अन्तर्गत रोके गए कुल तारों की संख्या 57 थी। चूंकि ये आंकड़े दलों के हिसाब से नहीं रखे जाते, अतः यह बता सकना संभव नहीं है कि इनमें से कितने तार कांग्रेस दल के थे।

(ख) जी हां। यह मामला विचाराधीन है।